आर.के. बरवाल और अन्य

बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य

(सिविल अपील क्रमांक 11060/2017)

25 अगस्त 2017

[ए.के. सीकरी और अशोक भूषण, जे.जे.]

सशस्त्र बल - विमुक्त सशस्त्र बल कार्मिक (हिमाचल प्रदेश राज्य गैर-तकनीकी सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण) नियम, 1972 - 1:5 (1) नागरिक रोजगार में वरिष्ठता और वेतन निर्धारण के उद्देश्य से पूर्व सैनिकों को सशस्त्र बलों में प्रदान की गई पिछली सेवा का लाभ प्रदान करना - चुनौती - यदि सशस्त्र बलों में प्रदान की गई पिछली सेवा को गिनने का ऐसा लाभ केवल उन कर्मियों के लिए स्वीकार्य था जो आपातकाल की अवधि के दौरान जॉर्स में शामिल हुए थे, न कि उन पूर्व सैनिकों के लिए जो शांति के समय सशस्त्र बलों में शामिल हुए थे -माना गया: आपातकाल के दौरान शामिल हुए पूर्व सैनिकों को सशस्त्र बलों में सेवा का लाभ देने वाले नियम पूरी तरह से उचित हैं - युद्ध के दौरान राष्ट्र की सेवा का आह्वान सेना में शामिल होने की तुलना में पूरी तरह से अलग है जब देश ऐसे किसी विदेशी का सामना नहीं कर रहा हो आक्रामकता -उस समय अपने करियर का त्याग करके सशस्त्र बलों में शामिल होने वाले व्यक्तियों को वरिष्ठता के मामले में भी लाभ देकर एक अलग वर्ग के रूप में माना जाएगा -हालाँकि, जो लोग शांति काल के दौरान सशस्त्र बलों में शामिल हुए, वे करियर की तलाश में ऐसा करते हैं और अपनी इच्छा से ऐसी सेवाओं में शामिल होते हैं -वे सशस्त्र बलों में किसी अन्य पेशे की तरह एक पेशे के रूप में शामिल होते हैं - इस प्रकार, पूर्व सैनिकों की दो

श्रेणियां दो अलग-अलग वर्ग बनाती हैं और एक दूसरे के बराबर नहीं हैं - सेवा कानून - आरक्षण।

सेवा कानून - सशस्त्र बल - आरक्षण - पूर्व सैनिकों को सशस्त्र बलों में प्रदान की गई पिछली सेवा का लाभ - माना गया: पूर्व सैनिकों को कोटा प्रदान करने के लिए एक समझदार मानदंड मौजूद है - उद्देश्य पूर्व सैनिकों का पुनर्वास करना है जो उन्हें आरक्षण प्रदान करके प्राप्त किया जा सकता है - उचित सीमा के भीतर एक विशेष कोटा आरक्षित करने के नियम अनुच्छेद 14 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करते हैं - भारत का संविधान -अनुच्छेद;14।

सेवा कानून - वरिष्ठता - सामान्य नियम - प्रस्थान प्रपत्र -:माना गया: सेवा में किसी कर्मचारी की वरिष्ठता सेवा में उसके प्रवेश की तारीख के संदर्भ में निर्धारित की जानी है, जो कला 14 और 16 की आवश्यकता के अनुरूप है - वरिष्ठता से जुड़े इस सामान्य नियम के लिए प्रस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण कारण होने चाहिए - भारत का संविधान - अनुच्छेद 14, 16. ..

सशस्त्र बल - विमुक्त सशस्त्र बल कार्मिक (हिमाचल प्रदेश राज्य गैर-तकनीकी सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण) नियम, 1972 - प्रतिवादी, अनारक्षित पद पर चपरासी के रूप में नियुक्त एक पूर्व-सैनिक व्यक्ति ने 1972 के नियमों के तहत पूर्व-सैनिकों को उपलब्ध लाभ से इनकार कर दिया - प्रतिवादी ने ओ.ए. दायर करके ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया। जिसे अनुमति दी गई - राज्य द्वारा रिट याचिका, उच्च न्यायालय द्वारा खारिज - अपील पर, आयोजित: सरकार द्वारा जारी प्रशासनिक निर्देशों में कहा गया है कि जब किसी पदमुक्त सेना कार्मिक को पहली बार में सामान्य अनारक्षित रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त किया गया है, तो उसे पहली नियुक्ति के समय आरक्षित रिक्ति स्वीकार करने का विकल्प दिया जाना चाहिए, भले ही यह उसकी नियुक्ति के बाद हो '- हालाँकि,

ऐसा कोई विकल्प प्रतिवादी को कभी प्रदान नहीं किया गया था - प्रतिवादी को राज्य सरकार की ओर से स्मृति के कारण पीड़ित नहीं किया जा सकता है - उच्च न्यायालय के फैसले में कोई त्रुटि नहीं पाई गई।

अपीलों को खारिज करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1.1 पूर्व सैनिकों को कोटा प्रदान करने के लिए एक समझदार मानदंड मौजूद है। इसका उद्देश्य पूर्व सैनिकों का पुनर्वास करना है जो उन्हें आरक्षण प्रदान करके प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए, जहां तक नियमों में किसी विशेष कोटा को उचित सीमा के भीतर आरक्षित करने का प्रावधान है, इसकी अनुमति है और यह संविधान के अनुच्छेद 14 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करता है। प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ एक समझदार अंतर का संबंध है। इसी तरह, वेतन की सुरक्षा के लिए नियमों में प्रावधान को भी स्वीकार्य माना गया है। [पैरा 13) [686-एफ-जी)

1.2 नियमों में आपातकाल के दौरान शामिल हुए पूर्व सैनिकों को सशस्त्र बलों में सेवा का लाभ देने का प्रावधान पूरी तरह से उचित है। यह इस तर्क पर आधारित है कि सशस्त्र बलों में ऐसे कर्मियों का बलिदान जो युद्ध के समय सेवा में शामिल हुए थे, उन व्यक्तियों की तुलना में बहुत अधिक है जो शांति अवधि के दौरान सशस्त्र बलों में शामिल हुए थे। तर्क इस आधार पर आगे बढ़ता है कि जब आपातकाल की स्थिति घोषित की जाती है और राष्ट्र युद्ध में होता है या आक्रामकता के खतरे का सामना कर रहा होता है, तो देशभक्ति की भावना से कुछ युवा सशस्त्र बलों में शामिल हो जाते हैं, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि वे अपना जीवन दांव पर लगा रहे हैं। वे सिविल सेवा में शामिल होने और देश के मुख्य शहरों में आरामदायक जीवन जीने का मौका छोड़ देते हैं। सशस्त्र बलों में रहते हुए इन पूर्व सैनिकों द्वारा प्रदान की गई सेवा का लाभ तब मान्य माना जाता है जब वे आपातकाल के दौरान भर्ती हुए थे। हालाँकि, ऐसा लाभ उन

लोगों के लिए उपलब्ध नहीं होगा जो सशस्त्र बल में शामिल होते हैं जब देश किसी अन्य देश/शत्रु देश के साथ संघर्ष में नहीं होता है। ऐसे व्यक्तियों को लाभ देने से इनकार इस आधार पर किया जाता है कि ये व्यक्ति आपातकालीन अवधि के दौरान सेवा में शामिल होने वाले लोगों से बिल्कुल अलग स्तर पर खड़े होते हैं। ये व्यक्ति सभी नफा-नुकसान पर विचार करते हैं और सभी कारकों पर विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सशस्त्र बलों में उनका भविष्य अच्छा है। वे किसी भी अन्य पेशे की तरह एक पेशे के रूप में सशस्त्र बलों में शामिल होते हैं। (पैरा 141 [687-बी-ई]

1.3 पूर्व सैनिकों की दो श्रेणियां दो अलग-अलग वर्ग बनाती हैं और एक-दूसरे के बराबर नहीं हैं। इस प्रकार, बाद वाली श्रेणी नागरिक पद पर शामिल होने पर उनकी वरिष्ठता के उद्देश्य से सशस्त्र बलों में प्रदान की गई उनकी सेवा की गणना करने की हकदार नहीं है। उपरोक्त निर्णयों में दिए गए इस आदेश का पालन करते हुए, उच्च न्यायालय ने वरिष्ठता के लाभ को केवल पूर्व सैनिकों के उस वर्ग तक सीमित कर दिया है, जो आपातकाल की अवधि के दौरान सशस्त्र बलों में शामिल हुए थे। (पैरा 151 [687-.एफ-जीजे

2. अपीलकर्ता यह इंगित करने में सही हैं कि जो लोग 'शांति काल' में भी सैन्य सेवा में शामिल हो रहे हैं, उन्हें छद्म युद्ध की कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और विद्रोह और आतंकवाद से भी निपटना पड़ता है। यह भी सामान्य ज्ञान की बात है कि उपरोक्त कठिन परिस्थितियों से निपटने के दौरान ये सैन्यकर्मी अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं और वास्तव में, सैनिकों की हताहतों की संख्या और मृत्यु दर में वृद्धि हो रही है। जब वे सैन्य सेवा छोड़ते हैं, तो एक पूर्व सैनिक के रूप में, उन्हें न केवल उनके लिए निर्धारित कोटा के विरुद्ध नागरिक पद पर नियुक्ति का लाभ मिलता है, बल्कि नागरिक पद पर नियुक्ति पर उनका वेतन तय होने पर उन्हें सैन्य सेवा की

गणना का लाभ भी मिल रहा है। हालाँकि, वरिष्ठता के उद्देश्य से इन पूर्व सैनिकों द्वारा प्रदान की गई सैन्य सेवा की गिनती का लाभ उन्हें नहीं दिया जा सकता है। ऐसा लाभ केवल उन लोगों तक ही सीमित है जो विदेशी आक्रमण के कारण आपातकाल के दौरान सशस्त्र बलों में शामिल हुए थे। युद्ध के दौरान राष्ट्र की सेवा का आह्वान सेना में शामिल होने से बिल्कुल अलग स्तर पर है जब देश ऐसे किसी विदेशी आक्रमण का सामना नहीं कर रहा हो। न्यायालय ने बताया कि जिन व्यक्तियों को सशस्त्र बलों में तब नियुक्त किया गया था जब राष्ट्र विदेशी आक्रमण का सामना कर रहा था और उस समय की मांग थी कि व्यक्तियों को राष्ट्र की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए सशस्त्र बलों में शामिल होना चाहिए। ऐसी स्थितियों में बहुत से लोग सशस्त्र बलों में शामिल होने के इच्छुक नहीं होते हैं और केवल राष्ट्र के सम्मान की भावना रखने वाले लोग ही ऐसे अवसरों पर आगे आते हैं। इस कारण से, उस समय अपने करियर का त्याग करके सशस्त्र बलों में शामिल होने वाले ऐसे व्यक्तियों को वरिष्ठता के मामले में भी लाभ देकर एक अलग वर्ग के रूप में माना जाना था। हालाँकि, जो लोग अन्यथा सशस्त्र बलों में शामिल हुए, वे ऐसा करते हैं, करियर की तलाश में होते हैं और अपनी इच्छा से ऐसी सेवाओं में शामिल होते हैं। वे सशस्त्र बलों की सेवा में सामान्य जोखिम के लिए तैयार हैं। इसलिए, सशस्त्र बलों में प्रदान की गई सेवा का लाभ वरिष्ठता के प्रयोजनों के लिए ऐसे वर्ग तक नहीं बढ़ाया जा सकता है। अपीलकर्ताओं द्वारा बताई गई परिस्थितियाँ और कुछ नहीं बल्कि वे जोखिम हैं जो बहुत प्रसिद्ध और प्रचलित हैं। तथ्य यह है कि ये व्यक्ति अपना करियर बनाने के लिए और अपनी इच्छा से, अपनी पसंद का मामला मानकर इस सेवा में शामिल हुए थे। इसलिए, उनके मामले बिल्कुल अलग स्तर पर हैं। आख़िरकार, यदि प्रदान की गई सशस्त्र बल सेवाओं का लाभ वरिष्ठता के उद्देश्य से प्रत्येक पूर्व सैनिक को दिया जाता है, तो इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। यह न्यायालय वरिष्ठता तय करने के सामान्य नियम से बच नहीं सकता, यानी सेवा में

किसी अधिकारी की वरिष्ठता उसके सेवा में प्रवेश की तिथि-675 ए के संदर्भ में निर्धारित की जाती है, जो संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 की आवश्यकता के अनुरूप है। इस नियम से हटने के लिए बहुत ठोस कारण होने चाहिए। अन्यथा, यह कई सीधी भर्ती वाले लोगों को ऐसे पूर्व सैनिकों से कनिष्ठ बनाकर संतुलन को बिगाड़ सकता है, भले ही ऐसे सीधे भर्ती किए गए लोग पूर्व सैनिकों की तुलना में बहुत पहले सिविल पदों पर सेवाओं में शामिल हो गए हों। इस प्रकार, केवल युद्ध के दौरान सशस्त्र बलों में नियुक्त किए गए लोगों को ऐसा लाभ देने के लिए बनाई गई एक असाधारण श्रेणी को प्रत्येक पूर्व सैनिक तक केवल इसलिए नहीं बढ़ाया जा सकता क्योंकि उसने सशस्त्र बलों में सेवा की है। [पैरा 27) [692-बी-एच; 693-ए-डी]

सीधी भर्ती कक्षा 11 इंजी.ऑफिसर्स एसोसिएशन एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य (1990) 2 एससीसी 715: [1990] 2 एससीआर 900; पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य बनाम अघोर नाथ डेयरफ्ड अन्य 1993 सेकंड (3) 371 : [1993] 2 एससीआर 919 - संदर्भित।

3. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में एक और प्रासंगिक पहलू की ओर इशारा किया है। यह उल्लेख किया गया है कि सशस्त्र बलों में प्रदान की गई पिछली सेवा का लाभ उन व्यक्तियों को भी दिया जाता है जो सेवा के लिए न्यूनतम शैक्षणिक मानदंड भी पूरा नहीं करते हैं, जो अन्यथा अनिवार्य है। इस प्रकार, आपातकाल के दौरान सशस्त्र बलों में शामिल होने वालों के संबंध में भी सैन्य सेवा का लाभ केवल उसी तारीख से दिया जाना है, जब उन्होंने उस पद के लिए नियमों में निर्धारित न्यूनतम पात्रता मानदंड प्राप्त कर लिए हों, जिस पर ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किया गया हो। [पैरा 30,31) [694-बी; 695-सी.जे

<u>सिविल अपील संख्या 657/2016</u>

4. उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय के अवलोकन से पता चलता है कि सरकार द्वारा जारी किए गए प्रशासनिक निर्देशों में कहा गया है कि जब एक जारी सेना कार्मिक को पहली बार में सामान्य अनारक्षित रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त किया गया है, उसे पहली नियुक्ति के समय आरक्षित रिक्ति स्वीकार करने का विकल्प दिया जाना चाहिए, भले ही यह उसकी नियुक्ति के बाद हो। हालाँकि, प्रतिवादी को ऐसा कोई विकल्प कभी प्रदान नहीं किया गया था। रिक्ति प्रतिवादी की नियुक्ति के बाद उपलब्ध हो गई और चूंकि राज्य सरकार को पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद के विरुद्ध विचार करने के लिए प्रारंभिक नियुक्ति के समय प्रतिवादी को विकल्प देना आवश्यक था, जो नहीं किया गया था। इसलिए, राज्य सरकार की ओर से प्रतिवादी को स्मरण के कारण पीड़ित नहीं किया जा सकता। उपरोक्त तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में उच्च न्यायालय के निर्णय में कोई त्रुटि नहीं पाई जाती है। [पैरा 351 [696-सी; 697-ए-ई)

पूर्व कैप्टन के. सी. अरोड़ा और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (1984) 3 एससीसी 281: [1984) 3 एससीआर 623; हिमाचल प्रदेश राज्य वी. पी.डी. अत्री (1999) 3 एससीसी 217: 1199911 एससीआर 587 - संदर्भित।

केस कानून संदर्भ

[1994) 1 एससीआर 316	निर्भर	पैरा 9
(1997) 1 एससीआर 1010	निर्भर	पैरा 11
[1988) 1' सप्ल.एससीआर 574	निर्भर	पैरा 22
[19841 3 एससीआर 623	संदर्भित	पैरा 22
(1993] 2 एससीआर 919	संदर्भित	पैरा 27
(19901 2 एससीआर 900	संदर्भित	पैरा 27

[1999) 1 एससीआर 587 संदर्भित पैरा 29

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 11060/2017

सीडब्ल्यूपी संख्या 488/2001 में शिमला स्थित हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 29.12.2008 से

के साथ

सिविल अपील क्रमांक 657/2016,

सिविल अपील क्रमांक 11061 एवं 11062/2017 एवं

एस.एल.पी. क्रमांक 22416/2017

परमजीत सिंह पटवालिया, सीनियर एडवोकेट, भास्कर वाई. कुलकर्णी, विकास महाजन, विनोद शम्म, वरिंदर कुमार शर्मा, राजीव शन्ना, नरेश के. शर्मा, राजीव कुमार बंसल, अक्षय के. घई, मनीष पाठक, ब्रह्म प्रकाश, बलराज दीवान, नरेश के. शर्मा, हिमिंदर लाल, सुश्री रजनी ओहरी लाल, अनिप सच्ते, आदित्य धवन, सुश्री किरण धवन, सुश्री रिया सच्ते, सी.एस. आश्री, उपस्थित पक्षों के लिए सलाहकार।

न्यायालय का निर्णय **न्यायाधीश ए.के.सीकरी** द्वारा सुनाया गया।

1. विशेष अनुमति याचिका-(सिविल) क्रमांक 8710/2009, 14361/2009 एवं 19750/201 एल में अनुमति प्रदान की गई।

2. इन सभी अपीलों में, मुद्दा विघटित सशस्त्र बल कार्मिक (हिमाचल प्रदेश राज्य गैर-तकनीकी सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण) नियम, '1972 (इसके बाद '1972 नियम' के रूप में संदर्भित) की वैधता से संबंधित है। 1972 के ये नियम हिमाचल प्रदेश राज्य में गैर-तकनीकी सेवाओं में भारतीय सशस्त्र बल कार्मिकों को आरक्षण प्रदान करते हैं। 1972 के नियमों में वरिष्ठता और नागरिक रोजगार में वेतन निर्धारण के उद्देश्य से

सेवानिवृत्त सशस्त्र बल कार्मिकों की अनुमोदित सैन्य सेवा की गणना का लाभ प्रदान करने का भी प्रावधान किया गया है। यह इन नियमों की वैधता है जो इनमें से अधिकतर अपीलों में विषय वस्तु है: हालांकि, सुविधा और बेहतर समझ के लिए, हम सिविल अपील संख्या 11060/2017@ एसएलपी (सी) क्रमांक 8710/2009. की घटनाओं पर ध्यान देंगे।

3. इन अपीलों में अपीलकर्ता रिहा सशस्त्र बल कार्मिक हैं। शुरुआत में उन्हें सेना में ले जाया गया जहां उन्होंने कुछ वर्षों तक सेवा की और कुछ वर्षों तक सेवा करने के बाद, उन्हें सेना से रिहा कर दिया गया, अभी भी युवा हैं और नागरिक पद के लिए निर्धारित सेवानिवृत्ति की उम्र से बहुत दूर हैं, उन्होंने हिमाचल प्रदेश राज्य (जिसे इसके बाद 'राज्य' कहा जाएगा) में सहायक जिला अटॉर्नी के पद के लिए आवेदन किया और राज्य के अभियोजन विभाग में सहायक जिला अटॉर्नी के रूप में नियुक्ति पाने में सफल रहे। 1972 के नियमों के अनुसार, उन्हें सहायक जिला अटॉर्नी के रूप में उनके वेतन और वरिष्ठता के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए उनकी अनुमोदित सैन्य सेवा का लाभ दिया गया था। इन अपीलकर्ताओं की नियुक्तियों का विवरण इस प्रकार है:

अपीलकर्ता का नाम	**सशस्त्र बलों में शामिल होने की तारीख और रैंक**	**सशस्त्र बलों और रैंक से मुक्त होने की तिथि**	**नागरिक रोजगार में शामिल होने की तिथि (अभियोजन विभाग)**	**आवश्यक योग्यता प्राप्त करने की तिथि**	**नियुक्ति की मानी गई तारीख**
आर.के.	**24.04.198**	**10.09.199**	**28.12.200**	**1991(एलएलबी)**	**20.03.198**

बरवाल (अपीलकर्ता सं.1)	1 (एयरमैन के रूप में)	7 (सार्जेंट के रूप में)	1 (एडीपी /एपीपी के रूप में नियुक्त)	+2 वर्ष का अनुभव	9 (12 वर्ष पूर्व दिनांकित वरिष्ठता देकर)
डी.एस. परमार (अपीलकर्ता क्रमांक 2)	21.06.1986 (हवलदार क्लर्क के रूप में)	21.07.2001 (नायब-सूबेदार के रूप में)	19.10.2006 (एडीपी /एपीपी के रूप में नियुक्त)	1991(एलएलबी) +2 वर्ष का अनुभव	09.09.1991 (15 वर्ष पूर्व दिनांकित वरिष्ठता देकर)
एस.एस. पठानिया (अपीलकर्ता क्रमांक 3)	16.01.1980 (नाविक के रूप में)	28.02.1999 (हथियार में मास्टर के रूप में)	18.11.2003 (एडीपी /एपीपी के रूप में नियुक्त)	1997(एलएलबी) +2 वर्ष का अनुभव	29.08.1986 (15 वर्ष पूर्व दिनांकित वरिष्ठता देकर)
एन.एस.वर्मा (अपीलकर्ता क्रमांक 4)	08.01.1974 (नाविक के रूप में)	31.01.1989 (पेटी ऑफिसर के रूप में)	20.09.1996 (एडीपी /एपीपी के रूप में	1984(एलएलबी) +2 वर्ष का अनुभव	20.03.1989 (12 वर्ष पूर्व दिनांकित वरिष्ठता

			नियुक्त)		**देकर)**

जैसा कि उपरोक्त चार्ट से स्पष्ट है, हालांकि ये अपीलकर्ता बाद की तारीखों में राज्य के साथ सहायक जिला अटॉर्नी के रूप में शामिल हुए, उन्हें उनकी अनुमोदित सैन्य सेवा की गणना करके 1972 के नियमों के आवेदन के साथ पिछली/पहले की तारीख से वरिष्ठता दी गई थी। उनका वेतन भी उसी के अनुसार तय किया गया था।

4. इस स्तर पर, हम 1972 के नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों को पुनः प्रस्तुत कर सकते हैं। मुख्य रूप से, हम नियम 3(1) और 5(1) से चिंतित हैं। 1972 के नियमों की प्रस्तावना और उपरोक्त नियम इस प्रकार हैं:

"प्रस्तावना

जी संख्या 11-76/71- जीए - ए - एलएन भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग, और इस संबंध में उन्हें सक्षम करने वाली अन्य सभी शक्तियां, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, इसके द्वारा विमुद्रीकृत आपातकालीन आयोग अधिकारियों, लघु सेवा नियमित आयोग अधिकारियों के लिए हिमाचल राज्य, गैर-तकनीकी सेवाओं में रिक्तियों के आरक्षण को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं; जूनियर कमीशंड अधिकारी, गैर-कमीशन अधिकारी और भारतीय संघ के सशस्त्र बलों के अन्य रैंक (इसके बाद जारी भारतीय सशस्त्र बल कार्मिक कहा जाएगा), और ऐसी रिक्तियों पर ऐसे अधिकारियों/कार्मिकों की भर्ती, अर्थात्:

3. रिक्तियों का आरक्षण: .

(1) सभी पदों के संबंध में पंद्रह प्रतिशत रिक्तियां, अर्थात; ,'सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले वर्ग I, II, III और IV को भारतीय सशस्त्र बल के उन कार्मिकों या भूतपूर्व सैनिकों द्वारा भरे जाने के लिए आरक्षित किया जाएगा जो सेवा में शामिल हुए थे या कमीशन प्राप्त किए थे या 1 नवंबर, 1962 के बाद और उसके बाद किसी भी समय रिहा किया जा सकता है.... "

5: वरिष्ठता और वेतन:

(1) प्रासंगिक नियमों के तहत बाकी रिक्तियों के खिलाफ नियुक्त उम्मीदवारों द्वारा संबंधित सेवा में नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु प्राप्त करने के बाद प्रदान की गई अनुमोदित सैन्य सेवा की अवधि को ही उस सेवा में वेतन और वरिष्ठता के निर्धारण के लिए गिना जाएगा। (हालांकि यह लाभ केवल प्रथम सिविल नियुक्ति के समय ही दिया जाएगा और यह पूर्व सैनिकों की बाद की नियुक्ति में स्वीकार्य नहीं होगा, जो पहले से ही राज्य/केंद्र सरकार के तहत आरक्षित पदों पर कार्यरत हैं)।

5. यहां यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि राज्य सरकार ने प्रशासनिक सेवाओं में भी जारी सशस्त्र बल कर्मियों को इस तरह का लाभ देने के लिए इसी तरह के नियम बनाए हैं। ये नियम वर्ष 1974 में बनाए गए थे और इन्हें 'डिमोबिलाइज्ड सशस्त्र बल कार्मिक (हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण), नियम, 1974 (इसके बाद '1974 नियम' के रूप में संदर्भित) कहा जाता है। हालाँकि, 1974 के नियम इन अपीलों का विषय नहीं हैं, इन नियमों को संदर्भित करने का उद्देश्य यह है कि इन नियमों की वैधता को भी चुनौती दी गई थी और मामला इस न्यायालय में आया था, उस हद तक, इन नियमों का संदर्भ प्रासंगिक हो जाता है और कार्यवाही के परिणाम का उचित चरण में उल्लेख किया जाएगा।

6. जब अपीलकर्ताओं की वरिष्ठता उपरोक्त तालिका में दिए गए तरीके से तय की गई, तो परिणाम यह हुआ कि उन्हें उन कुछ नियुक्तियों से ऊपर वरिष्ठता दी गई जो सामान्य श्रेणी में आते थे और यहां तक कि जब उन्हें कुछ समय पहले सहायक जिला अटोमी के रूप में नियुक्त किया गया था। इन व्यक्तियों ने, स्वाभाविक रूप से, अपीलकर्ताओं, प्रतिवादी संख्या 3 से 5 के साथ-साथ दो अन्य सहायक जिला ऐटोमीज़ के साथ किए गए इस अनुकूल व्यवहार से व्यथित महसूस किया, इस प्रकार, अन्य बातों के अलावा, मूल आवेदन (ओए) दाखिल करके राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण से संपर्क किया। 1972 के नियम 5(1) की शक्तियों को चुनौती देते हुए, जहां तक यह अपीलकर्ताओं को उनकी वरिष्ठता के निर्धारण के लिए अनुमोदित सैन्य सेवा की गिनती का लाभ प्रदान करता है। उन्होंने नियम 5(1) को इस हद तक रद्द करने की प्रार्थना की कि यह ऐसे रिहा सशस्त्र बल कर्मियों को वरिष्ठता प्रदान करता है, एक विशिष्ट प्रार्थना के साथ कि अपीलकर्ताओं को सौंपी गई नियुक्ति की तारीखों को अवैध घोषित किया जाए। उन्होंने इस आशय के निर्देश जारी करने की भी प्रार्थना की कि इन अपीलकर्ताओं को सहायक जिला अटॉर्नी के रूप में नियुक्ति की वास्तविक तिथि से या वैकल्पिक रूप से उस तिथि से वरिष्ठता दी जाए, जब उन्होंने पद के लिए पात्रता हासिल की थी, अर्थात एलएलबी की डिग्री। यहां, हम उल्लेख कर सकते हैं कि इन अपीलकर्ताओं ने बाद में एलएलबी डिग्री प्राप्त की थी, लेकिन जब उन्होंने जिला अटॉर्नी के पद के लिए आवेदन किया था तब वे कानून स्नातक थे और उक्त पद के लिए विचार किए जाने के पात्र थे। हालाँकि, प्रतिवादी संख्या 3-5 की शिकायत यह थी कि उन्हें सैन्य सेवा की गणना करके, उन तारीखों से वरिष्ठता दी जाती है जब वे कानून स्नातक नहीं थे और इस प्रकार उस तारीख को अपेक्षित योग्यता के अभाव में, पद के लिए पात्र भी नहीं थे।

7. राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने, पक्षों को सुनने के बाद, 12 जनवरी, 2001 के फैसले के तहत प्रतिवादी संख्या 3-5 द्वारा दायर ओए को खारिज कर दिया, जिससे 1972 नियमों के नियम 5 (1) की वैधता बरकरार रही।

8. इन उत्तरदाताओं ने उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करके राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के फैसले को चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने, आक्षेपित निर्णय के माध्यम से, 1972 के नियमों के नियम 5(1) को आंशिक रूप से रद्द कर दिया है। राम जनम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए, उच्च न्यायालय ने माना है कि सशस्त्र बलों में प्रदान की गई पिछली सेवा को गिनने का ऐसा लाभ केवल उन्हीं कर्मियों को स्वीकार्य होगा, जो आपातकाल की अवधि के दौरान सेना में शामिल हुए थे और शांति के समय सशस्त्र बलों में शामिल हुए पूर्व सैनिकों के मामले में यह अस्वीकार्य होगा।

9. उच्च न्यायालय के पूर्वोक्त निर्णय का परिणाम यह है कि अपीलकर्ता वरिष्ठता के प्रयोजनों के लिए सशस्त्र बलों में प्रदान की गई सेवा की अवधि से वंचित हो गए हैं क्योंकि वे आपातकाल की अवधि के दौरान उक्त सेवा में शामिल नहीं हुए थे। चूँकि, उच्च न्यायालय ने राम जनम सिंह मामले और कुछ अन्य मामलों पर उसी प्रभाव से भरोसा करते हुए अपना फैसला सुनाया है, आगे बढ़ने से पहले हम इन निर्णयों और उनमें निर्धारित कानून पर चर्चा करना चाहेंगे।

10. राम जनम सिंह1 एक ऐसा मामला था जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर सवाल उठाया गया था। यह यू:पी.गैर-तकनीकी (श्रेणी) सेवा (डिमोबिलाइज्ड अधिकारियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण) नियम, 1973 से संबंधित है। इन नियमों के तहत, लाभ उन पूर्व सैनिकों तक ही सीमित था, जो उस अवधि के दौरान सशस्त्र बलों में सेवा में शामिल हुए थे। देश आपातकाल की स्थिति में था। एक

व्यक्ति जो उस अवधि के दौरान सशस्त्र बलों में सेवा में शामिल हुआ था जब आपातकाल लागू नहीं था, उसने नियमों का लाभ न दिए जाने को इस आधार पर चुनौती दी थी कि 10 जनवरी, 1969, जब आपातकाल हटाया गया था, से लेकर 03 दिसंबर, 1971, जब उसे पुनः लागू किया गया था, तक की अवधि को बाहर करने का कोई उचित या तर्कसंगत आधार नहीं था। रिट याचिका को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अनुमति दे दी थी। इसके बाद, राम जनम सिंह ने शीर्ष अदालत के समक्ष अपील दायर की जिसे स्वीकार कर लिया गया। शीर्ष न्यायालय ने इस प्रकार कहा:-

> 10. समय-समय पर एक ही सेवा में विभिन्न स्रोतों से भर्ती किए गए व्यक्तियों के बीच अंतर-संवेदनशीलता के संबंध में विवाद उठाया जाता है। 'अतीत में, अधिकारियों के एक समूह को काल्पनिक वरिष्ठता दी जाती थी, जिसका उद्देश्य उनकी कठिनाइयों को कम करना या भर्ती या पदोन्नति की प्रक्रिया में उनके साथ हुई किसी कथित गलती को सुधारना था। अंततः, यह महसूस किया गया कि यदि किसी विशेष श्रेणी के अधिकारी या अधिकारियों के समूह की वरिष्ठता को एक काल्पनिक तिथि के संदर्भ में तय करने की स्वतंत्रता दी जाती है, तो इससे सार्वजनिक सेवा में बड़ी अनिश्चितता पैदा होगी। किसी विशेष सेवा में प्रवेश की तारीख को एक अधिकारी या दूसरे या अधिकारियों के एक समूह और विभिन्न स्रोतों से भर्ती किए गए दूसरे समूह के बीच अंतर निर्धारित करते समय पालन करने के लिए सबसे सुरक्षित नियम माना जाता था। इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का उल्लेख करने के बाद, सीधी भर्ती क्लास II इंजीनियरिंग ऑफिसर एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य [(1980) 2 एससीसी 715]: (एआईआर 1990 · एससी 1607) के मामले में एक संविधान पीठ उसी निष्कर्ष पर पहुंची। पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अघोर

नाथ देव [(1993) 3 एससीसी 371] के मामले में भी यही दोहराया गया है। अब यह लगभग तय हो गया है कि सेवा में एक अधिकारी की वरिष्ठता सेवा में उसके प्रवेश की तारीख के संदर्भ में तय की जाती है, जो संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 की आवश्यकता के अनुरूप होगी। बेशक, यदि परिस्थितियों की आवश्यकता हो तो व्यक्तियों के एक समूह को उनकी वरिष्ठता तय करते समय किसी भी अधिमान्य या लाभकारी उपचार के लिए बाकियों से अलग एक वर्ग माना जा सकता है। लेकिन, क्या ऐसे व्यक्तियों का समूह किसी विशेष उपचार के लिए एक विशेष वर्ग से संबंधित है, वरिष्ठता के मामलों में वस्तुनिष्ठ विचार और प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाना चाहिए जो संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 की कसौटी पर खरे उतर सकें। आम तौर पर, ऐसा वर्गीकरण वैधानिक नियम या संविधान के अनुच्छेद 209 के तहत बनाए गए नियमों द्वारा होना चाहिए। ऐसे नियमों के दूरगामी निहितार्थ से प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनका उद्देश्य उन व्यक्तियों की वरिष्ठता को प्रभावित करना है, जो पहले से ही सेवा में हैं। पदोन्नति पदों के लिए आमतौर पर अधिकांश सेवाओं में योग्यता और योग्यता या वरिष्ठता-सह-योग्यता संबंधी नियम त्रुटिपूर्ण हैं। ऐसे में किसी कर्मचारी की वरिष्ठता: बाद के मामले में महत्वपूर्ण है, और उसके करियर को आगे बढ़ाने के लिए प्रासंगिक है, जो कारकों से प्रभावित हो सकता है, जिसे उचित और तर्कसंगत माना जा सकता है।

11. ऐसा प्रतीत होता है कि नियम 1973 और 1980 के निर्माताओं ने उन व्यक्तियों का इलाज करते समय, जिन्हें 1 नवंबर, 1962 को या उसके बाद लेकिन 10 जनवरी, 1968 से पहले और फिर से कमीशन दिया गया था,

03 दिसंबर 1971 के बाद उन परिस्थितियों और पृष्ठभूमि को ध्यान में रखा गया जिसमें ऐसे व्यक्तियों को सशस्त्र बलों में नियुक्त किया गया था, यानी जब देश को विदेशी आक्रमणों का सामना करना पड़ा था और समय की पुकार थी कि राष्ट्र की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए व्यक्तियों को सशस्त्र बलों में शामिल होना चाहिए। यह सर्वविदित है कि ऐसी स्थिति में कई लोग सशस्त्र बलों में शामिल होने के इच्छुक नहीं होते हैं और केवल राष्ट्र के सम्मान की भावना रखने वाले लोग ही ऐसे अवसरों पर आगे आते हैं। इस पृष्ठभूमि में, यदि ऐसे व्यक्तियों को वरिष्ठता के मामले में कोई लाभ देने के लिए एक अलग वर्ग के रूप में माना गया है, तो कोई भी कोई शिकायत नहीं कर सकता है और उनके वर्गीकरण को संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के आलोक में भी बरकरार रखा जा सकता है।

12. लेकिन, हम यह समझने में असफल हैं कि जो लोग आपातकाल समाप्त होने के बाद, यानी 10 जनवरी, 1968 के बाद और 03 दिसंबर, 1971 से पहले, जब एक और आपातकाल लगाया गया था, कैसे शामिल हुए, विदेशी आक्रमण को देखते हुए उसके साथ बराबरी या समान स्तर पर व्यवहार किया जा सकता है। यह बताने की जरूरत है कि ऐसे व्यक्ति करियर की तलाश में थे और अपनी इच्छा से सशस्त्र बलों में शामिल हुए थे। यह माना जा सकता है कि वे सशस्त्र बलों की सेवा में सामान्य जोखिम के लिए तैयार थे। जो लोग 1 नवंबर, 1962 या 3 दिसंबर, 1971 के बाद सशस्त्र बलों में शामिल हुए, वे न केवल सशस्त्र बलों में शामिल हुए बल्कि उस युद्ध में भी शामिल हुए जो देश लड़ रहा था। यदि लाभ ऐसे व्यक्तियों को दिया गया है; जिन्हें राष्ट्रीय आपात स्थिति के दौरान

कमीशन दिया गया था, उन्हें सशस्त्र बलों के उन सदस्यों तक भी बढ़ाया गया है जो सामान्य समय के दौरान शामिल हुए थे, सिविल सेवाओं के सदस्य वैध शिकायत कर सकते हैं कि उक्त सेवा में प्रवेश करने के बाद सेवा में भर्ती व्यक्तियों द्वारा उनकी वरिष्ठता को बिना किसी तर्कसंगत आधार के प्रभावित किया जा रहा है।

13. XXX XXX XXX

14. क्या यह कहा जा सकता है कि जो व्यक्ति विदेशी आक्रमण के कारण आपातकाल की घोषणा के बाद सेना में शामिल हुए थे और जो युद्ध समाप्त होने के बाद सेना में शामिल हुए थे, वे एक ही स्तर पर खड़े हैं? जो लोग आपातकाल हटने के बाद सेना में शामिल हुए वे करियर के तौर पर सेना में शामिल हुए। यह सर्वविदित है कि विदेशी आक्रमण के दौरान सेना सेवा में शामिल होने वाले कई व्यक्ति अन्य करियर या सेवा का विकल्प चुन सकते थे। लेकिन राष्ट्र स्वयं संकट में था, राष्ट्र की सेवा करने की भावना से प्रेरित होकर, उन्होंने सेना में शामिल होने का विकल्प चुना, जहां तब जोखिम बड़ा था। कोई भी इस बात पर विवाद नहीं कर सकता कि ऐसे व्यक्तियों ने स्वयं एक वर्ग बनाया है और उपरोक्त नियमों के अनुसार युद्ध से लौटे लोगों को अलग-अलग सेवाओं में प्रतिस्पर्धा करने पर मुआवजा देने का प्रयास किया गया है। हमारे अनुसार, यह दलील कि जो व्यक्ति विदेशी आक्रमण की समाप्ति और आपातकाल हटने के बाद सेना सेवा में शामिल हुए, उनके साथ भी उन व्यक्तियों जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, जो आपातकाल के दौरान सेना सेवा में शामिल हुए हैं, विदेशी आक्रमण के कारण यह एक निरर्थक दलील है और इसे उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था। इससे प्रभावित होने

की आवश्यकता नहीं है कि जब भी किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य सेवा में बिताई गई कोई विशेष अवधि उस सेवा में जोड़ दी जाती है जिसमें वह व्यक्ति बाद में शामिल होता है। इससे उन व्यक्तियों की वरिष्ठता प्रभावित होना निश्चित है जो पहले ही सेवा में प्रवेश कर चुके हैं। इस प्रकार, पिछली सेवा की किसी भी अवधि को बाद की सेवा में वरिष्ठता के निर्धारण के लिए केवल कुछ बहुत ही अनिवार्य कारणों से ध्यान में रखा जाना चाहिए, जो तर्कसंगतता की कसौटी पर खरे उतरते हैं और जांच करने पर उन्हें मनमानी से मुक्त माना जा सकता है।"

(जोर दिया गया)

11. चितरंजन सिंह चीमा और अन्य बनाम राज्य बंद पंजाब और अन्य 2 में इस सिद्धांत को दोहराया गया था, जिसमें इस न्यायालय ने माना था कि सामान्य भर्ती के तहत रक्षा सेवाओं में नियुक्त व्यक्ति, 26.10.1962 को (बाहरी आपातकाल) की उद्घोषणा से पहले, पंजाब सरकार राष्ट्रीय आपातकाल (रियायत) नियम, 1965 में परिभाषित अभिव्यक्ति "सैन्य सेवा" के अंतर्गत नहीं आते थे। इसलिए, अपीलकर्ता जो क्रमशः 07 दिसंबर, 1957 और 03 सितंबर, 1959 को भारतीय वायु सेना में नामांकित हुए थे और 15 साल की सेवा पूरी करने पर 1974 में रिहा हुए थे, उन्हें वरिष्ठता और अन्य परिणामी लाभों के लिए इस सेवा के लाभ के हकदार नहीं माना गया। क्योंकि उनकी नियुक्ति आपातकाल के दौरान नहीं बल्कि नियमित प्रक्रिया के तहत की गयी थी.

12. उच्च न्यायालय द्वारा संज्ञान में लिया गया एक अन्य मामला नरेंद्र नाथ पांडे और अन्य बनाम यूपी राज्य और अन्य 3 है। इस मामले में, 1973 के उपरोक्त यूपी नियमों के नियम 6 पर कार्रवाई की जा रही थी, जिसका प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

"नियम 6 वरिष्ठता एवं वेतन-

(एल) नियम 3 के उप-नियम (1) के तहत आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्त उम्मीदवारों की वरिष्ठता और वेतन इस धारणा पर निर्धारित किया जाएगा कि उन्होंने भर्ती के लिए प्रतिस्पर्धा करने के अपने दूसरे अवसर पर संबंधित सेवा में प्रवेश किया, और उन्हें प्रासंगिक प्रतिस्पर्धी परीक्षा के सफल उम्मीदवारों के रूप में आवंटन का एक ही वर्ष सौंपा जाएगा।"

न्यायालय के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या ऐसे पूर्व-सेवा कर्मियों को वरिष्ठता दी जा सकती है, भले ही वे नागरिक रोजगार हासिल करने में पहले प्रयास में असफल रहे हों और क्या सशस्त्र बलों में प्रदान की गई सेवा का लाभ दिया जा सकता है, भले ही सेना द्वारा ऐसे कर्मियों की रिहाई और नागरिक रोजगार हासिल करने के बीच महत्वपूर्ण समय अंतराल हो। उपरोक्त नियम की व्याख्या करते हुए इन प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार दिया गया:

"13. यह सच है कि नियम 6 युद्ध सेवा के उम्मीदवार की सिविल सेवा में पदावनति और भर्ती के बीच की अवधि का प्रावधान नहीं करता है। न ही यह ऐसी अवधि पर विचार करने से मना करता है।' हालाँकि, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि युद्ध सेवा से छुट्टी के बाद, प्रांतीय सिविल सेवा में उम्मीदवार की भर्ती के लिए कुछ समय व्यतीत हो जाएगा .. परीक्षा में प्रतिस्पर्धा करने का सवाल है। नियम 6 किसी भी अंतराल पर विचार करने का प्रावधान नहीं करता है। फिर भी यह स्पष्ट है कि एक उम्मीदवार को कुछ उचित अवधि की अनुमति दी जानी चाहिए ताकि वह प्रांतीय सिविल सेवा में अपनी भर्ती के लिए प्रतिस्पर्धी परीक्षा में उपस्थित होने के अवसर का लाभ उठा सके। यह नहीं कहा जा सकता कि किसी

परीक्षा में प्रतिस्पर्धा करने के लिए अभ्यर्थी को तैयारी करनी पड़ती है क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाएं आम तौर पर कठिन होती हैं और हमारी राय में अभ्यर्थी को कम से कम दो वर्ष का समय दिया जाना चाहिए। उनकी छुट्टी के बाद, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए और वह अगले वर्ष, यानी सशस्त्र बलों से उनकी छुट्टी के तीसरे वर्ष में होगी। दूसरे शब्दों में, उसे सिविल सेवा में भर्ती के लिए संबंधित परीक्षा में भाग लेने के लिए तीन साल का समय देना होगा।

14. सफल होने के बाद भी उसे तुरंत भर्ती नहीं किया जाता. रिक्तियों की उपलब्धता और पोस्टिंग का सवाल है. यह सामान्य ज्ञान है कि पोस्ट करने में कुछ समय लगता है। नियम 6 के उचित निर्माण पर एक उम्मीदवार द्वारा परीक्षा में प्रतिस्पर्धा के लिए बिताई गई अवधि, जो हमारी राय में, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी और युद्ध सेवा उम्मीदवार की वरिष्ठता की गणना के प्रयोजन के लिए उसकी भर्ती या पोस्टिंग के लिए ली गई समयावधि को भी ध्यान में रखा जाएगा। इस प्रकार, यदि कोई उम्मीदवार वर्ष 1968 में सेवामुक्त हो जाता है, तो उसे परीक्षा में प्रतिस्पर्धा के अवसर का लाभ उठाने के लिए तीन साल का समय दिया जाना चाहिए। मान लीजिए, वह 1971 में परीक्षा में सफल हुआ और 1973 में उसकी पोस्टिंग हुई। नियम 6 के मद्देनजर, उसे भर्ती के लिए प्रतिस्पर्धा के दूसरे अवसर पर सेवा में प्रवेश किया हुआ माना जाएगा, वरिष्ठता और वेतन की गणना के प्रयोजन के लिए सेवा में प्रवेश की तारीख से लेकर 1973 में उसकी भर्ती तक की पूरी अवधि को ध्यान में रखा जाएगा। हालाँकि, यदि कोई उम्मीदवार युद्ध सेवा से अपनी छुट्टी के तीन साल के भीतर अवसर का लाभ नहीं उठाता है या परीक्षा देता है लेकिन युद्ध सेवा

से अपनी छुट्टी के तीन साल के भीतर अवसर का लाभ नहीं उठाता है या परीक्षा देता है लेकिन असफल हो जाता है, वरिष्ठता की गणना के प्रयोजन के लिए उसकी सेवामुक्ति और उसके बाद की भर्ती के बीच की अवधि को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। नियम 6 की उचित व्याख्या की जानी चाहिए। हमें नियम 6 की इस तरह से व्याख्या करने का कोई कारण नहीं मिलता है जिससे उन अपीलकर्ताओं के साथ अन्याय होगा जो परीक्षा में सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा करने के बाद सेवा नियमों के तहत भर्ती हुए हैं।

15. हम उच्च न्यायालय से सहमत हैं कि 1973 के नियम और 1980 के नियम भी काफी कानूनी और वैध हैं। हालाँकि, हमारा विचार है कि 1973 के नियमों के नियम 6 या 1980 के नियमों के नियम 5 के तहत केवल उचित अवधि, अर्थात्, परीक्षा देने के लिए आवश्यक तीन वर्ष की अवधि और भर्ती या पोस्टिंग के लिए लिया गया समय, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, वरिष्ठता और वेतन की गणना के प्रयोजन के लिए युद्ध सेवा की अवधि के साथ, लेकिन किसी अन्य अवधि को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। 1976 में तैयार की गई विवादित वरिष्ठता सूची और उसके बाद वर्ष 1980 में तैयार की गई वरिष्ठता सूची को कायम नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि वे वरिष्ठता की गणना के लिए बिना किसी आरक्षण के सेवामुक्ति और भर्ती के बीच की प्रारंभिक अवधि को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई हैं। (जोर दिया गया)"

13. इस न्यायालय के पूर्वोक्त निर्णयों में निर्धारित आदेश स्पष्ट और स्पष्ट हैं। न्यायालय ने माना है कि पूर्व सैनिकों को कोटा प्रदान करने के लिए एक समझदार मानदंड मौजूद है। इसका उद्देश्य पूर्व सैनिकों का पुनर्वास करना है जो उन्हें आरक्षण प्रदान करके प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए, जहां तक नियमों में किसी विशेष कोटा

को उचित सीमा के भीतर आरक्षित करने का प्रावधान है, इसकी अनुमति है और यह संविधान के अनुच्छेद 14 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करता है। प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ एक समझदार अंतर का संबंध है। इसी तरह, वेतन की सुरक्षा के लिए नियमों में प्रावधान को भी स्वीकार्य माना गया है।

14. हालाँकि, विवाद की जड़ इन पूर्व सैनिकों को नागरिक सेवा में शामिल होने पर वरिष्ठता का लाभ देने के संबंध में है, जिस विभाग में ये पूर्व सैनिक शामिल होते हैं, उसमें वरिष्ठता के उद्देश्य से सशस्त्र बलों में प्रदान की गई सेवा की गणना की जाती है। यहां हितों का टकराव उन नागरिकों के बीच उत्पन्न होता है जो पूर्व सैनिकों की तुलना में किसी विशेष सेवा में पहले शामिल होते हैं लेकिन बाद में शामिल होने वाले पूर्व सैनिकों से कनिष्ठ बन जाते हैं क्योंकि पूर्व सैनिकों को सैन्य बलों में उनकी पिछली सेवा से लाभ मिलता है। जहां तक इस पहलू का सवाल है, ऊपर उल्लिखित निर्णयों में माना गया है कि नियमों में उन पूर्व सैनिकों को सशस्त्र बलों में सेवा का लाभ देने का प्रावधान पूरी तरह से उचित है जो आपातकाल के दौरान शामिल हुए थे। यह इस तर्क पर आधारित है कि सशस्त्र बलों में ऐसे कर्मियों का बलिदान जो युद्ध के समय सेवा में शामिल हुए थे, उन लोगों की तुलना में बहुत अधिक है जो शांति अवधि के दौरान सशस्त्र बलों में शामिल हुए थे: तर्क इस आधार पर आगे बढ़ता है कि जब आपातकाल की स्थिति घोषित की जाती है और देश युद्ध में है या आक्रामकता के खतरे का सामना कर रहा है, कुछ युवा देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर सशस्त्र बलों में शामिल होते हैं, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि वे अपना जीवन दांव पर लगा रहे हैं। वे सिविल सेवा में शामिल होने और देश के मुख्य शहरों में आरामदायक जीवन जीने का मौका छोड़ देते हैं। इस अंतर को दर्शाते हुए, इस न्यायालय ने इन पूर्व सैनिकों द्वारा सशस्त्र बलों में प्रदान की गई सेवा का लाभ तब मान्य माना है जब वे आपातकाल के दौरान भर्ती हुए थे। हालाँकि, न्यायालय ने माना है कि ऐसा लाभ उन लोगों को नहीं मिलना

चाहिए जो ऐसे समय में सशस्त्र बलों में शामिल होते हैं जब देश किसी अन्य देश/दुश्मन देश के साथ संघर्ष में नहीं था। ऐसे व्यक्तियों को लाभ देने से इनकार इस आधार पर किया जाता है कि ये व्यक्ति आपातकालीन अवधि के दौरान सेवा में शामिल होने वाले लोगों से बिल्कुल अलग स्तर पर खड़े होते हैं। ये व्यक्ति सभी नफा-नुकसान पर विचार करते हैं और सभी कारकों पर विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सशस्त्र बलों में उनका भविष्य अच्छा है। वे किसी भी अन्य पेशे की तरह एक पेशे के रूप में सशस्त्र बलों में शामिल होते हैं।

15. इस आधार पर, न्यायालय ने माना है कि पूर्व सैनिकों की दो श्रेणियां दो अलग-अलग वर्ग बनाती हैं और एक-दूसरे के बराबर नहीं हैं। इस प्रकार, बाद वाली श्रेणी नागरिक पद पर शामिल होने पर उनकी वरिष्ठता के उद्देश्य से सशस्त्र बलों में प्रदान की गई उनकी सेवा की गणना करने की हकदार नहीं है। उपरोक्त निर्णयों में दिए गए इस आदेश का पालन करते हुए, उच्च न्यायालय ने वरिष्ठता के लाभ को केवल पूर्व सैनिकों के उस वर्ग तक सीमित कर दिया है, जो आपातकाल की अवधि के दौरान सशस्त्र बलों में शामिल हुए थे।

16. इस स्थिति को उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित तरीके से संक्षेपित किया गया है:

> "हमारा विचार है कि इस तरह का लाभ केवल उन व्यक्तियों तक सीमित होना चाहिए जो आपातकाल की अवधि के दौरान शामिल हुए थे। अन्यथा नियम असंवैधानिक हो जाएंगे। ऊपर उद्धृत मामलों सहित कई मामलों में शीर्ष अदालत ने स्पष्ट रूप से माना है कि आरक्षण के कारण कार्यकुशलता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। आरक्षण को तब तक उचित माना जा सकता है जब तक दक्षता प्रभावित न हो। यह भी अच्छी तरह

से स्थापित है कि सेवा में एक अधिकारी की वरिष्ठता सेवा में प्रवेश की तारीख के संदर्भ में निर्धारित की जाती है। यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के अनुरूप है। अपवाद केवल विशेष परिस्थितियों में ही किया जा सकता है। हालाँकि, ऐसे लाभों के हकदार कौन हैं, इसका निर्णय निष्पक्ष रूप से किया जाना चाहिए। इसलिए, इस संबंध में नियम इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाए जाने चाहिए कि ऐसे आरक्षण का सेवा की दक्षता पर क्या प्रभाव पड़ेगा और यह किस तरह से उन व्यक्तियों की वरिष्ठता को प्रभावित करेगा जो पहले से ही सेवा में हैं।

हम इस मुद्दे को दूसरे दृष्टिकोण से देख सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने राम जनम सिंह मामले के साथ-साथ चितरंजन सिंह चीमा के मामले में भी स्पष्ट रूप से कहा कि सामान्य स्थिति के दौरान सशस्त्र बलों में शामिल होने वाले पूर्व सैनिक को आपातकाल के दौरान सशस्त्र बलों में शामिल होने वाले पूर्व सैनिकों के बराबर नहीं किया जा सकता है। चुनौती के अधीन नियम वास्तव में इन दोनों को समान करता है। इसलिए, दो असमानों को समान माना गया है। जो बात ऊंचे पायदान पर खड़े पूर्व सैनिकों के लिए वैध या उचित हो सकती है, यानी आपातकाल के दौरान शामिल हुए पूर्व सैनिकों के लिए वह जरूरी नहीं कि निचले पायदान पर खड़े लोगों के लिए वैध या कानूनी हो। जिन सिविल सेवकों को ऐसे पूर्व सैनिकों से नीचे रखा जाता है, वे वास्तव में शिकायत कर सकते हैं कि वे मनमाने भेदभाव के शिकार हैं, जैसा कि राम जनम सिंह मामले में स्पष्ट रूप से बताया गया है। यदि सभी पूर्व सैनिकों को यह लाभ दिया गया तो सेवा की दक्षता पर भी असर पड़ना तय है।"

17. उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट हो जाता है कि अपीलकर्ताओं के विरुद्ध निर्णय लेते समय उच्च न्यायालय ने इस न्यायालय के निर्णयों का पालन किया है और अनुपात भी सही ढंग से लागू किया गया है। इसलिए, उच्च न्यायालय के फैसले को गलत नहीं ठहराया जा सकता। हालाँकि, अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री परमजीत सिंह पटवालिया ने राम जनम सिंह और चितरंजन सिंह चीमा मामलों में इस न्यायालय के फैसले को अलग करने की कोशिश की थी, इस दलील के साथ कि उन दोनों मामलों में नियम अलग थे, हालाँकि, स्पष्ट आदेश और उक्त निर्णयों के पीछे के अनुपात, जिसकी चर्चा पहले ही ऊपर की जा चुकी है, को ध्यान में रखते हुए अपीलकर्ता के इस तर्क को स्वीकार करना मुश्किल है।

18. इसका सामना करते हुए, विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा की गई एक और उत्कट दलील यह है कि देश में मौजूदा परिस्थितियों और सशस्त्र बलों के कर्मियों को जिस तरह से अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है, उसे देखते हुए, आपातकाल और शांतिकाल में कोई अंतर नहीं है। यह प्रस्तुत किया गया कि 1971 के युद्ध के बाद, पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ छद्म युद्ध छेड़ दिया है जो निरंतर जारी है। शांतिकाल के दौरान सैनिकों का जीवन जोखिम और हताहत युद्ध में हताहत होने की तुलना में अधिक होता है। उग्रवाद जैसे हालात पहले पंजाब में थे और अब पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा कश्मीर घाटी में भी जारी हैं। लगभग हर दिन ऐसे प्रभावित क्षेत्रों में तैनात जवानों की जान जाती है। उग्रवाद की स्थिति और आतंकवाद से लड़ने के अलावा, सैनिकों को ऑपरेशन विजय (कार.गिल ऑपरेशन), मेगादूत, पवन, पराक्रम, रक्षक, बॉम्बे ऑपरेशन आदि जैसे विभिन्न ऑपरेशनों में भाग लेना पड़ता है, जो गैर-आपातकालीन अवधि के दौरान होते हैं और ऐसे ऑपरेशनों के दौरान सैनिकों के जीवन और मृत्यु का जोखिम भी युद्ध के दौरान उतना ही अधिक होता है।

19. संक्षेप में, निवेदन यह है कि इस न्यायालय द्वारा उन व्यक्तियों के बीच जो शांति के समय में सशस्त्र बलों में शामिल हुए थे और जो आपातकाल के दौरान शामिल हुए थे, के बीच जो अंतर बनाया गया था वह पूरी तरह से धुंधला हो गया है। श्री पटवालिया का जोर इस बात पर था कि तथाकथित शांति काल के दौरान भी सशस्त्र बलों को युद्ध जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है और इसलिए, अब उनके साथ उन पूर्व सैनिकों के समान व्यवहार किया जाना चाहिए जो आपातकाल के दौरान सैन्य सेवा में शामिल हुए थे। उस आधार पर, यह प्रस्तुत किया गया कि इस न्यायालय द्वारा तय किए गए और ऊपर संदर्भित मामलों पर पुनर्विचार की आवश्यकता है।

20. जहां तक आधिकारिक उत्तरदाताओं, हिमाचल प्रदेश राज्य और हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्मिक सचिव (प्रतिवादी संख्या 1 और 2) का सवाल है, उन्होंने अपीलकर्ताओं के तर्कों का समर्थन किया है। वास्तव में, यहां तक कि राज्य ने भी आक्षेपित फैसले को चुनौती दी है और उसकी अपील को 2017 की सिविल अपील संख्या __(@SLP(सिविल) संख्या 14361 of2009) के रूप में क्रमांकित किया गया है। इन अपीलों का मुख्य रूप से निजी उत्तरदाताओं द्वारा विरोध किया गया, जो नागरिक हैं और विभिन्न तिथियों पर इन पदों पर नियुक्त हुए थे और उन्होंने उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की थी जिसे उच्च न्यायालय ने अनुमति दे दी है। इसके अतिरिक्त, इसी वर्ग के कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा भी हस्तक्षेप आवेदन दायर किया गया है और उन्होंने भी आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया है।

21. जहां तक निजी उत्तरदाताओं, अर्थात् प्रतिवादी संख्या 4 और 5 के साथ-साथ हस्तक्षेप करने वालों का संबंध है, उनकी ओर से उपस्थित विद्वान वकील का कहना था कि उच्च न्यायालय का निर्णय इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुरूप था। और, इसलिए, इसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं था। यह प्रस्तुत किया गया कि जिस पृष्ठभूमि में 1972 के नियम बनाए गए थे, उसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस

संबंध में, उनका कहना था कि चीन ने 20 अक्टूबर, 1962 को राष्ट्र पर हमला किया था और 26 अक्टूबर, 1962 को आपातकाल की घोषणा की गई थी। यह पाया गया कि सशस्त्र बलों में युवा कर्मियों की भारी कमी थी जो देश की रक्षा कर सकें। और तदनुसार केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा उन व्यक्तियों के लिए कई रियायतों की घोषणा की गई जो इन बलों में शामिल हुए, जिनमें पदों का आरक्षण, वरिष्ठता के लिए सेना में सेवा की अवधि की गणना और नागरिक पदों पर वेतन और पेंशन की सुरक्षा शामिल थी।

22. उन्होंने आगे कहा कि भारत-चीन और भारत-पाक युद्धों के बाद, वर्ष 1968 में सशस्त्र बलों के लिए आवश्यक जनशक्ति की समीक्षा की गई और जो लोग अधिक थे, उन्हें चरणबद्ध तरीके से "डिमोबिलाइज" किया गया। विमुक्त व्यक्ति के पुनर्वास के लिए केंद्र व राज्य सरकार ने नियम बनाये थे. विमुद्रीकरण एक बार की कार्रवाई थी और विमुद्रीकरण 1975 तक बंद कर दिया गया था। यह बताया गया था कि इस तरह के पहले नियम पंजाब द्वारा पंजाब राष्ट्रीय आपातकालीन रियायत नियम, 1965 के रूप में बनाए गए थे और 20 जुलाई, 1965 को अधिसूचित किए गए थे जैसा कि पूर्व कैप्टन के.सी.अरोड़ा और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य में उल्लेख किया गया है।

23. इस प्रकार, इन उत्तरदाताओं ने पूर्व सैनिकों के दो वर्गों के बीच अंतर करके तर्क का समर्थन किया, अर्थात् वे जो आपातकाल के दौरान सशस्त्र बलों में शामिल हुए थे और जो नहीं हुए थे और यह केवल पहली श्रेणी है, जो पिछली सेवा का लाभ पाने का हकदार हो सकता है। यह भी प्रस्तुत किया गया था कि यदि पिछली सेवा का ऐसा लाभ दिया जाता है, तो ऐसे कई पूर्व सैनिक उस तारीख से वरिष्ठता के हकदार हो जाएंगे जब उनके पास कानून की डिग्री भी नहीं होगी या वकील के रूप में कोई अनुभव या अभ्यास नहीं होगा, जो पद के लिए आवश्यक है. यह भी प्रस्तुत किया गया था कि इनमें से कुछ पूर्व सैनिकों को उन तारीखों से वरिष्ठता मिल रही होगी, जिस दिन वे बार काउंसिल में वकील के रूप में नामांकित भी नहीं हुए थे और उन्होंने वकील के रूप में

तीन साल का अभ्यास का अनुभव भी पूरा नहीं किया था, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता था। इस प्रकार, यह प्रस्तुत किया गया कि यदि 1972 के नियमों के तहत लाभ सभी पूर्व सैनिकों को दिया जाता है, तो यह निस्संदेह सेवा की दक्षता को प्रभावित करेगा। इसके अलावा, इससे दिल में जलन भी होगी और उन सक्षम व्यक्तियों के मनोबल पर भी असर पड़ेगा जो बहुत पहले सेवाओं में शामिल हो गए थे और अभी भी वरिष्ठता में पूर्व सैनिकों से काफी नीचे हैं, जिन्हें निश्चित रूप से उस तारीख से वरिष्ठता मिलती है, जबकि उनके पास नियुक्ति के लिए न्यूनतम पात्रता भी नहीं थी। यह प्रस्तुत किया गया था कि रिक्तियों के आरक्षण के नियम को इतना नहीं बढ़ाया जा सकता है कि इसमें वरिष्ठता, वेतनमान (नियम 5.1) और आश्रितों के लिए रिक्तियों का प्रावधान और रिक्तियों के निरंतर आरक्षण (नियम 3.1) को डिमोबिलाइज्ड नियमों में शामिल किया जा सके। क्या संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए ये नियम संविधान के अनुच्छेद 16 की कसौटी पर खरे उतरेंगे जिसके अधीन अनुच्छेद 309 आता है?

24. यह बताया गया कि कई पूर्व सैनिकों ने इन उत्तरदाताओं और हस्तक्षेपकर्ताओं को हटा दिया था, जिसका सीधी भर्ती के सेवा कैरियर पर व्यापक प्रभाव पड़ा था। यह विशेष रूप से बताया गया कि श्री पुरंदर शर्मा बैच के टॉपर थे और उन्हें 20 जुलाई, 1990 को अन्य सीधी भर्ती, हस्तक्षेपकर्ता नंबर 2 श्री रवि कांत कौशल के साथ सहायक जिला अटॉर्नी के रूप में नियुक्त किया गया था, जबकि, पूर्व सैनिक, श्री धरम पाल शारदा, श्री संसार चंद, श्री नारायण सिंह वर्मा, श्री ज्ञान चंद राणा और श्री आर.के. बरवाल को बहुत बाद की तारीखों में नियुक्त किया गया था। हालाँकि, इन पूर्व-सैनिकों को 1972 के नियमों के नियम 5(1) का लाभ दिया गया था और उन्हें बहुत पहले की तारीख पर नियुक्ति की तारीख दी गई थी। नतीजतन, श्री पुरंदर शर्मा (प्रतिवादी नंबर 5) और अन्य समान स्थिति वाले व्यक्तियों को वरिष्ठता में इन पूर्व सैनिकों से बहुत नीचे रखा गया था, जिन्हें उस तारीख से वरिष्ठता मिली थी जब उनके

पास नियुक्ति के लिए न्यूनतम पात्रता भी नहीं थी। इस बात पर जोर दिया गया कि श्री पुरंदर शर्मा को सात साल की न्यूनतम आवश्यकता के मुकाबले 15 साल से अधिक की अवधि के लिए सहायक जिला अटॉर्नी के रूप में सेवा देने के बाद वर्ष 2005 में उप जिला अटॉर्नी के पद पर पदोन्नत किया गया था, जबकि, श्री आर.पी.शर्मा, श्री धरम पाल शारदा, श्री संसार चंद, श्री नारायण सिंह वर्मा, श्री ज्ञान चंद राणा और श्री आर.के.बरवाल (पूर्व सैनिक) को उनकी वास्तविक नियुक्ति की तारीख से 15 वर्ष की अवधि के भीतर तीन बार पदोन्नत किया गया, अर्थात् क्रमशः 10 जुलाई, 1998, 01 जून, 1994, 14 जून, 1993, 20 सितंबर, 1996, 26 मई, 1999 और 28 दिसंबर, 2001 को..

25. उस आधार पर, यह तर्क दिया गया कि अलग दृष्टिकोण अपनाने या मामले को विचार के लिए बड़ी पीठ को भेजने का कोई कारण नहीं था।

26. संबंधित प्रस्तुतियों पर उचित विचार करने और ऊपर चर्चा किए गए इस न्यायालय के निर्णयों का सूक्ष्मता से अध्ययन करने के बाद, जिन पर उच्च न्यायालय ने भरोसा किया है,

हमें वहां से हटने का कोई कारण नहीं दिखता और न ही इस मुद्दे को बड़ी बेंच को सौंपने का कोई औचित्य दिखता है।

27. निःसंदेह, श्री पटवालिया यह कहने में सही हैं कि जो लोग 'शांति काल' में भी सैन्य सेवा में शामिल हो रहे हैं, उन्हें छद्म युद्ध की कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और विद्रोह और आतंकवाद से भी निपटना पड़ता है। यह भी सामान्य ज्ञान की बात है कि उपरोक्त कठिन परिस्थितियों से निपटने के दौरान ये सैन्यकर्मी अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं और वास्तव में, सैनिकों की हताहतों की संख्या और मृत्यु दर में वृद्धि हो रही है। जब वे सैन्य सेवा छोड़ देते हैं, एक भूतपूर्व सैनिक के रूप

में, उन्हें न केवल उनके लिए निर्धारित कोटा के विरुद्ध नागरिक पद पर नियुक्ति का लाभ मिलता है, बल्कि नागरिक पद पर उनकी नियुक्ति पर उनका वेतन निर्धारित होने पर उन्हें सैन्य सेवा की गणना का लाभ भी मिल रहा है। हालाँकि, वरिष्ठता के उद्देश्य से इन पूर्व सैनिकों द्वारा प्रदान की गई सैन्य सेवा की गिनती का लाभ उन्हें नहीं दिया जा सकता है। इस न्यायालय द्वारा ऐसा लाभ केवल उन लोगों तक ही सीमित है जो विदेशी आक्रमण के कारण आपातकाल के दौरान सशस्त्र बलों में शामिल हुए थे। यह विशेष श्रेणी ऊपर उल्लिखित निर्णयों के तहत बनाई गई थी। ऐसा करते हुए इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से और बार-बार कहा कि युद्ध के दौरान राष्ट्र की सेवा का आह्वान सेना में शामिल होने से बिल्कुल अलग स्तर पर है, जब गौवंश ऐसे किसी विदेशी आक्रमण का सामना नहीं कर रहा हो। न्यायालय ने बताया कि जिन व्यक्तियों को सशस्त्र बलों में तब नियुक्त किया गया था जब राष्ट्र विदेशी आक्रमण का सामना कर रहा था और उस समय मांग थी कि व्यक्तियों को राष्ट्र की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए सशस्त्र बलों में शामिल होना चाहिए। इस बात पर जोर दिया गया कि ऐसी स्थितियों में कई लोग सशस्त्र बलों में शामिल होने के इच्छुक नहीं होते हैं और केवल राष्ट्र के सम्मान की भावना रखने वाले लोग ही ऐसे अवसरों पर आगे आते हैं। इस कारण से, उस समय अपने करियर का त्याग करके सशस्त्र बलों में शामिल होने वाले ऐसे व्यक्तियों को वरिष्ठता के मामले में भी लाभ देकर एक अलग वर्ग के रूप में माना जाना था। हालाँकि, जो लोग अन्यथा सशस्त्र बलों में शामिल हुए, वे करियर की तलाश में ऐसा करते हैं और अपनी इच्छा से ऐसी सेवाओं में शामिल होते हैं। वे पराजित बलों की सेवा में सामान्य जोखिम के लिए तैयार हैं। इसलिए, सशस्त्र बलों में प्रदान की गई सेवा का लाभ वरिष्ठता के प्रयोजनों के लिए ऐसे वर्ग तक नहीं बढ़ाया जा सकता है। श्री पटवालिया द्वारा बताई गई परिस्थितियाँ और कुछ नहीं बल्कि वे जोखिम हैं जो सर्वविदित और प्रचलित हैं। तथ्य यह है कि ये व्यक्ति अपना करियर बनाने के लिए और अपनी इच्छा से इस सेवा

में शामिल हुए थे, और इसे अपनी पसंद का मामला माना। इसलिए, उनके मामले बिल्कुल अलग स्तर पर हैं। आख़िरकार, यदि प्रदान की गई सशस्त्र बल सेवाओं का लाभ वरिष्ठता के उद्देश्य से प्रत्येक पूर्व सैनिक को दिया जाता है, तो इसके दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं .. इस संबंध में उदाहरण निजी उत्तरदाताओं द्वारा दिए गए हैं, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। यह न्यायालय वरिष्ठता तय करने के सामान्य नियम से पीछे नहीं हट सकता, जैसा कि सीधी भर्ती वर्ग ॥ इंजीनियरिंग ऑफिसर एसोसिएशन के साथ-साथ एग्लियोई नेटलर देव के मामलों में प्रतिपादित किया गया है, यानी सेवा में एक अधिकारी की वरिष्ठता सेवा में उसके प्रवेश की तारीख के संदर्भ में निर्धारित की जाती है, जो संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 की आवश्यकता के अनुरूप है। इस नियम से हटने के लिए बहुत ठोस कारण होने चाहिए। अन्यथा, यह कई सीधी भर्ती वाले लोगों को ऐसे पूर्व सैनिकों से कनिष्ठ बनाकर संतुलन को बिगाड़ सकता है, भले ही ऐसे सीधी भर्ती वाले पूर्व सैनिकों की तुलना में बहुत पहले सिविल पदों पर सेवाओं में शामिल हो गए हों। इस प्रकार, केवल युद्ध के दौरान सशस्त्र बलों में नियुक्त किए गए लोगों को ऐसा लाभ देने के लिए बनाई गई एक असाधारण श्रेणी को प्रत्येक पूर्व सैनिक तक केवल इसलिए नहीं बढ़ाया जा सकता है क्योंकि उसने सशस्त्र बलों में सेवा की है।

28. इसलिए, हमारी सुविचारित राय है कि राम जनम सिंह और क्लिट्रांजन सिंह चीमा मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत से विचलित होने का कोई कारण नहीं है। अपीलकर्ता का यह तर्क इस प्रकार है; अस्वीकार कर दिया।

29. श्री पटवालिया ने यह भी प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय ने एच.पी. बनाम पी.डी.अत्री5 राज्य के मामले में अपने फैसले में यह भी माना है कि प्रत्येक राज्य संविधान के तहत शासन का अपना व्यक्तिगत तरीका अपनाता है। एक राज्य दूसरे राज्य के कर्मचारियों पर लागू नियमों और विनियमों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है और वह दूसरे राज्य में नियमों और विनियमों में लाए गए हर बदलाव का

पालन करने के लिए बाध्य नहीं है, भले ही उन्हें शुरुआत में अपनाया गया हो। इस रंग में, यह प्रस्तुत किया गया था कि वर्तमान में 1972 के नियमों के तहत भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण का प्रतिशत सभी पदों अर्थात श्रेणी I, II, III और IV (1972 नियमों के नियम 3 (1)) के संबंध में 15% की सीमा तक है। . 1972 के नियम प्रशासनिक सेवाओं, न्यायपालिका और तकनीकी सेवाओं को छोड़कर राज्य सरकार के प्रत्येक विभाग पर लागू होते हैं, जिनके लिए अलग-अलग विभाग हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य में लगभग 2 लाख से अधिक कर्मचारी हैं जो 1972 के नियमों द्वारा शासित होते हैं। इस प्रकार, लगभग 30,000 से 35,000 पूर्व सैनिक होंगे जिन्हें 1972 के नियमों के तहत वरिष्ठता का लाभ प्रदान किया गया है।

हालाँकि, ऊपर की गई विस्तृत चर्चा के मद्देनजर इस तर्क को खारिज करने की जरूरत है।

30. आक्षेपित निर्णय में, उच्च न्यायालय ने एक और प्रासंगिक पहलू की ओर इशारा किया है। यह उल्लेख किया गया है कि सशस्त्र बलों में प्रदान की गई पिछली सेवा का लाभ उन व्यक्तियों को भी दिया जाता है जो सेवा के लिए न्यूनतम शैक्षणिक मानदंड भी पूरा नहीं करते हैं जो अन्यथा अनिवार्य है। इस संबंध में चर्चा इस प्रकार है:

> "हमारी सुविचारित राय में, राज्य सरकार ने मामले के इन पहलुओं पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं रखी गई है कि नियम बनाते समय ऐसे उद्देश्य मानदंडों का पालन किया गया था या नहीं। हमने यह भी पाया है कि हिमाचल प्रदेश राज्य में सशस्त्र बलों में प्रदान की गई पिछली सेवा का लाभ उन व्यक्तियों को भी दिया जाता है जो सेवा के लिए न्यूनतम शैक्षणिक मानदंड भी पूरा नहीं करते हैं जो अन्यथा अनिवार्य है। उदाहरण के लिए

वर्तमान मामले को लें। जिला वकीलों से संबंधित आर एंड पी नियमों के अनुसार, न्यूनतम पात्रता मानदंड एक वकील के रूप में तीन साल के अनुभव के साथ कानून की डिग्री है। जिन पूर्व सैनिकों के पास न तो जॉ की डिग्री थी और न ही प्रैक्टिस का कोई अनुभव था, उन्हें सेना में पिछली सेवा का लाभ दिया जा रहा है। सेवा में शामिल होते ही वे उन व्यक्तियों से वरिष्ठ हो जाते हैं जो सामान्य वर्ग से आते हैं और उनसे बहुत पहले सेवा में शामिल हुए थे। इससे सेवा की कार्यकुशलता पर असर पड़ना तय है। इससे हृदय में जलन भी होगी. सामान्य वर्ग से शामिल होने वाले सक्षम व्यक्तियों को वरिष्ठता में उन लोगों से नीचे रखा जाता है जो शामिल होने के काफी समय बाद भी सेवा में शामिल होने के योग्य हो सकते हैं।

XXXX XXXX XXXX

जिस व्यक्ति के पास न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नहीं है वह पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होगा। जब व्यक्ति पद के लिए आवेदन करने के योग्य ही नहीं है तो इसका कोई मतलब नहीं है कि उसे ऐसे पद पर सेना में की गई सेवा का लाभ दिया जा सके। नियमावली का उद्देश्य सेना के जवानों का पुनर्वास करना है। पुनर्वास उन्हें आरक्षण प्रदान करके किया जाता है, लेकिन जब उन्हें वरिष्ठता का लाभ देने की बात आती है तो नियम असंवैधानिक हो जाता है यदि लाभ दिया जा रहा उम्मीदवार पद संभालने के लिए अयोग्य है। राज्य को भी यह स्पष्ट नहीं है कि यह लाभ किस तिथि से दिया जाना है. कुछ मामलों में जैसे कि प्रतिवादी संख्या 4 और श्री जी.सी.राणा के मामले में, पिछली सेवा का लाभ केवल उस तारीख से दिया गया है जिस दिन इन व्यक्तियों ने

न्यूनतम योग्यता हासिल की थी, लेकिन कुछ अन्य व्यक्तियों के मामलों में इस तिथि की परवाह किए बिना यह लाभ दिया गया है। यह प्रथा भेदभावपूर्ण है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।"

31. इस प्रकार, आपातकाल के दौरान सशस्त्र बलों में शामिल होने वाले लोगों के संबंध में भी सैन्य सेवा का लाभ केवल उसी तारीख से दिया जाना है, जब उन्होंने उस पद के लिए नियमों में निर्धारित न्यूनतम पात्रता मानदंड प्राप्त कर लिए हों, जिस पर ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किया गया हो।

32. चूंकि हमने पहले ही माना है कि जहां तक इन अपीलकर्ताओं का संबंध है, वे सहायक जिला अटॉर्नी के रूप में वरिष्ठता के उद्देश्य से सशस्त्र बलों में सेवा की गई अवधि की गणना कराने के हकदार नहीं हैं, इसलिए इन मामलों में विचार के लिए यह प्रश्न नहीं उठता है।

33. परिणामस्वरूप, 2009 के एसएलपी (सी) 8710 से उत्पन्न सिविल अपील संख्या 11060/2017, 2009 के एसएलपी (सी) 14361 से उत्पन्न सिविल अपील संख्या 11061/2017 और एसएलपी (सी) 19750 से उत्पन्न सिविल अपील संख्या 11069/2017 /2017 को बर्खास्त कर दिया गया है।

34. विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 22416/2017 (एसएलपी (सी) से उत्पन्न .... डी. संख्या 20104/2017 भी पूर्व सैनिकों द्वारा दायर की गई है जो राज्य के अभियोजन विभाग में शामिल हो गए हैं, वे संख्या में पाँच हैं। हालाँकि, उन्होंने 16 नवंबर 2007 को 2003 के सिविल रिट संख्या 620 में सुनाए गए उच्च न्यायालय के पहले के फैसले को चुनौती दी है। हमें इस विशेष अनुमति याचिका पर विचार करने का कोई कारण नहीं दिखता क्योंकि यह 10 साल की अवधि के बाद दायर की गई है। . किसी भी मामले में, यहां याचिकाकर्ताओं ने वही मुद्दे उठाए हैं जो उपरोक्त अपीलों में

अपीलकर्ताओं द्वारा उठाए गए थे और उन अपीलों को उनमें कोई योग्यता नहीं पाते हुए खारिज कर दिया गया है। तदनुसार, यह विशेष अनुमति याचिका भी सीमा के साथ-साथ गुण-दोष के आधार पर खारिज की जाती है।

<u>सिविल अपील संख्या 657/2016</u>

35. जहां तक 2016 की सिविल अपील संख्या 657 का संबंध है, यह हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा प्रतिवादी के खिलाफ दायर की गई है, जो 01 जनवरी, 1975 से अनारक्षित पद पर चपरासी के रूप में नियुक्त एक पूर्व सैनिक था। उस मामले में मुद्दा अलग था, हालांकि उन्हें वरिष्ठता के लिए सेना सेवा का लाभ नहीं दिया गया था, यह मुख्य रूप से उस अधिकारी के लिए था कि प्रतिवादी को अनारक्षित पद पर नियुक्त किया गया था और उस आधार पर सरकार ने यह विचार किया कि उन्हें 1972 के नियमों के तहत पूर्व सैनिकों को मिलने वाला लाभ नहीं दिया जा सकता है। प्रतिवादी ने प्रशासनिक न्यायाधिकरण, हिमाचल प्रदेश से संपर्क किया और उसके ओ.ए. को अनुमति दे दी गई। ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ, राज्य ने रिट याचिका दायर की, जिसे उच्च न्यायालय ने 22 मई, 2014 के फैसले के तहत खारिज कर दिया है, जिसके खिलाफ राज्य ने उपरोक्त अपील दायर की है। उच्च न्यायालय के फैसले को पढ़ने से पता चलेगा कि सरकार द्वारा जारी किए गए प्रशासनिक आदेश कि जब एक रिहा किए गए सेना कार्मिक को पहली बार में सामान्य अनारक्षित रिक्ति के खिलाफ नियुक्त किया गया है, उसे पहली नियुक्ति के समय आरक्षित रिक्ति स्वीकार करने का विकल्प दिया जाना चाहिए, भले ही यह उसकी नियुक्ति के बाद हो। उच्च न्यायालय ने कहा कि प्रतिवादी को ऐसा कोई विकल्प कभी प्रदान नहीं किया गया था। 01 जनवरी, 1975 को चपरासी के रूप में प्रतिवादी की नियुक्ति के बाद रिक्ति उपलब्ध हो गई और चूंकि राज्य सरकार को प्रारंभिक नियुक्ति के समय प्रतिवादी को पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद पर विचार करने का विकल्प देना आवश्यक था, जो नहीं किया गया और, इसलिए, राज्य सरकार की ओर से

प्रतिवादी को स्मरण के कारण पीड़ित नहीं किया जा सकता। उपरोक्त तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में, हमें उच्च न्यायालय के फैसले में कोई त्रुटि नहीं मिलती है और इसलिए, हम इस अपील को खारिज करते हैं।

दिव्या पांडे अपीलें खारिज।

(यह अनुवाद एआई टूलः सुवास की सहायता से अनुवादक रुचिका गुलेच्छा द्वारा किया गया है)

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।